सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 24, बुधवार, *शाके 1946*-अक्टूबर 16, *2024* *Asvina 24, Wednesday, Saka 1946- October 16, 2024*	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 24, 2024

संख्या एफ.15(48)पंरावि/विधि/ न.पा.गठन/पुनर्गठन/बारां/24/ईफाईल-38743/10698130:- विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.15(26)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2023/606 दिनांक 14.12.2023 के द्वारा तत्समय नवगठित नगरपालिका केलवाडा में सम्मिलित ग्राम पंचायत केलवाडा की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम केलवाडा, ग्राम पंचायत दांता की सीमा में आने वाले राजस्व ग्राम दांता, छिछरोनी एवं ख्यावदा, ग्राम पंचायत ऊनी की सीमा में आने वाले राजस्व ग्राम ऊनी, पहाडीजागीर, कलोनिया व ग्राम पंचायत बाल्दा का राजस्व ग्राम पेनावदा के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (पंचायत समिति-शाहबाद) को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक कर दिया गया था।

चूंकि स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा अधिसूचना क्रमांक 2634 दिनांक 27.8.2024 के द्वारा नवगठित नगरपालिका केलवाडा (जिला बारां) के संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक 4351-4390 दिनांक 28.8.2023 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक 4621-4660 दिनांक 20.9.2023 को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित कर लिया गया है,जिसके कारण उक्त विभागीय अधिसूचना क्रमांक 606दिनांक 14.12.2023 को तत्कालप्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है।

अत: ग्राम पंचायत केलवाडा की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम केलवाडा, ग्राम पंचायत दांता की सीमा में आने वाले राजस्व ग्राम दांता, छिछरोनी एवं ख्यावदा, ग्राम पंचायत ऊनी की सीमा मेंआनेवालेराजस्वग्रामऊनी, पहाडीजागीर, कलोनिया व ग्राम पंचायत बाल्दा का राजस्व ग्राम पेनावदा के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (पंचायत समिति- शाहबाद) को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में सम्मिलित माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं,
उप शासन सचिव (प्रथम)।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।